Centre is under the consideration of the Government of India, and

(b) if so, when a final decision is likely to be taken?

The Deputy Minister of Defence (Shri Raghuramaiah): (a) and (b) It has been decided as an experimental measure, to make a start with three Dogs and a small staff of one Junior Commissioned Officer and three Other Ranks

भूतपूर्व देशी राज्यों की सेनाओं के पदाधिकारी

९०४ { **श्री खादीवाला :** **श्री राधेलाल व्यास :** **श्री कृ० मे० मालवीय :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व देशी राज्यों की सेनाओं के एकीकरण के समय उन के कुछ पदाधिकारियों को सेवा काल की समाप्ति से पूर्व ही सेवा-निवृत्त कर दिया गया था

(ख) यदि हां तो उन की संख्या कितनी है और व किन किन राज्यों के हैं,

(ग) क्या इन पदाधिकारियों को उन की सेवा की शर्तों के अनुसार प्रतिकर अथवा निवृत्ति-वतन दिया गया है

(घ) यदि हां तो किस क्रम से, और

(ङ) क्या यह सच है कि भूतपूर्व देशी राज्यों की सेनाओं के कुछ कर्मचारियों का जो भारतीय सेना में नहीं लिये गये थे उन की सेवा काल पूरा होने तक उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में रख लिया गया था ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामय्या) (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार सेवा से मुक्त / निवृत्त होने वाले अफसरों की संख्या और प्रांत जिन में वह सम्बद्ध थे नीचे दिये गये हैं —

राजस्थान	१७०
पेप्सू	७३
मध्य भारत	१६६
म राष्ट्र	७०
हैदराबाद	१४५
ट्रावनकोर कोचीन	३५
मैसूर	५६
गुजरात	२
टहरी गढ़वाल	७
कूच बिहार	१
कोल्हापुर	१३
बड़ौदा	४८
रामपुर	८
कच्छ	२
हिमाचल प्रदेश	३
त्रिपुरा	६
विंध्यप्रदेश	१५
कुल संख्या	७६६

(ग) तथा (घ). जी हां। भूतपूर्व रियासती सेनाओं में स्थायी कमिशन प्राप्त अफसरों के लिये दर सलग्न विवरण संख्या १ और २ में दिखाये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५६**] अधिक लाभकारी होने की दशा में अफसर अपने अपने राज्य सरकार के सैनिक नियमों के अधीन सेवा निवृत्ति की रियायतों और दरों को चुनकर ग्रहण कर सकते थे।

(ङ) कुछ भूतपूर्व रियासती सेनाओं के अफसरों को कई राज्य सरकारों द्वारा सरकारी नौकरी स्वीकार करने का अवसर दिया गया था पर भारत सरकार को यह मालूम नहीं कि आया ऐसा इन अफसरों को अपनी सेवावधि पूरा करने के अवसर देने को किया गया।